राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी–3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर
www.lsg.urban.rajasthan.gov.in E-Mail- caodlb@gmail.com Tel/Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(160)लेखा/एसएफसी/दिशा–निर्देश/डीएलबी/2015–20/7759 दिनांक :– 31-7-17

–:: परिपत्र ::–

विषयः– पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के लिये कार्य निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान का वितरण वर्ष 2017–18 में करने हेतु मापदण्ड निर्धारण के संबंध में।

पंचम राज्य वित्त आयोग के द्वारा अन्तरिम रिपोर्ट वर्ष 2016–17 के लिये की गई सिफारिश संख्या 51 में राशि रूपये 4594.00 लाख की राशि निर्धारित की गई है। निर्धारित राशि को वर्ष 2017–18 में नगरीय निकायो के मध्य वितरण हेतु निम्नानुसार पात्रता के मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैः–

क्र. सं.	मापदण्ड	निकाय द्वारा कार्यवाही
1	आय और व्यय के लेखाओं का समयबद्ध रखरखाव	नगरीय निकायों में वर्ष 2015–16 के एक्रूयल बेस डबल एन्ट्री सिस्टम से तैयार अंकेक्षित अंतिम लेखो की प्रति प्रस्तुत करने है।
2	"आस्ति रजिस्टर" सहित अभिलेखों का रखरखाव।	राजस्थान नगरपालिका लेखा मैन्युअल के अनुसार विभिन्न प्रकार के निर्धारित रजिस्टरो एवं भण्डार पंजीका के संधारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3	पूर्व वर्ष की तुलना स्वंय के राजस्व में वृद्धि।	इस हेतु निकायो द्वारा वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17 में निजी आय–व्यय (सरकार से प्राप्त अनुदानों को छोड़कर) में 10% वृद्धि को दर्शाना है।

निष्पादन अनुदान राशि का वितरण केवल उन निकायो को स्वीकृत किया जावेगा, जो निकाय उक्त में से किसी एक मापदण्ड़ को पूर्ण करती हो। प्रोत्साहन राशि की गणना पात्र नगरीय निकायो की जनगणना 2011 एवं क्षेत्रफल के आधार पर की जावेगी। जैसा की आयोग की सिफारिश संख्या–27 वर्ष 2015–16 में उल्लेख किया गया है। अवशेष राशि राज्य सरकार को समर्पित कर दी जावेगी।

पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु निष्पादन अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु समस्त नगरीय निकायो को दिनांक 30.09.2017 तक अपना दावा आवश्यक रूप से निदेशालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त दिनांक के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावों पर विचार नहीं किया जावेगा।

यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 171700762 दिनांक 20.07.2017 द्वारा अनुमोदित है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(160)लेखा/एसएफसी/दिशा–निर्देश/डीएलबी/2015–20/7760-966 दिनांक :– 31-7-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, अध्यक्ष पंचम राज्य वित्त आयोग, वित्त भवन राजस्थान जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
05. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय/आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
06. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
07. सदस्य सचिव, पंचम राज्य वित्त आयोग, प्रथम तल, बी ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
08. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
09. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
10. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका राजस्थान।
12. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
13. प्रभारी ई–गवर्नेस/समन्वयक, सीएएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी